


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

कार्यालय आदेश

विद्या भवन पब्लिक स्कूल, फतहपुरा, उदयपुर को गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता एवं अनुदाय नियम 1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2003 - 2004 से निरीक्षणकर्ता की अभिशंषा के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।


मान्यता नियमों की पालना नहीं करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है। कार्यालय के पूर्व पत्र संंक 1137 दिनांक 30-4-2003 के द्वारा प्रदान की गई अस्थाई मान्यता निरस्त की जाती है।



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/उदय/सीट-23/मान्यता/2003-04 दि. 18-8-03

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर मण्डल, उदयपुर
3. सचिव/व्यवस्थापक विद्या भवन पब्लिक स्कूल, फतहपुरा, उदयपुर
4. रक्षित पत्रावली


Organising Secretary
Vidya Bhawan Society
Udaipur


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर